DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
Himachal Pradesh, Shimla – 171001.

PRESS RELEASE

*The Central Government has decided to open the **National Scholarship Portal (NSP2.0) on 1st June 2017** for applying online for student Applications of **2017-18** under the **Post Matric, Merit-Cum-Mean, Scholarship for Minority students and Post Matric scholarship for students with Disabilities.** A student can apply through www.scholarship.gov.in and link also made available in the website www.minorityaffairs.gov.in. The Post Matric, Merit-Cum-Means and Scholarship for Minority students and Post Matric scholarship for students with Disabilities, Scholarship Schemes are available on the National Scholarship Portal (NSP2.0)*

The tentative timeline activities for the year 2017-18 for fresh and renewal of scholarship in respect of Post Matric, Merit-Cum-Means and Post Matric scholarship for students with Disabilities to the given to States/UTs at present are the under:-

(a)Post-Matric Scholarship Scheme:-Timeline (for Fresh & Renewal Scholarship):

Sr. No	Activities	Date
1	Submission of Online application for Fresh scholarship by students	1st June to 31st August,2017
2	Submission of Online application for Renewal scholarship by students	1st June to 31st July,2017

(b)Merit-cum-Means Scholarship Scheme:-Timeline (for Fresh & Renewal Scholarship):

Sr. No	Activities	Date
1	Submission of Online application for Fresh scholarship by students	1st June to 31st August,2017
2	Submission of Online application for Renewal scholarship by students	1st June to 31st July,2017

(c)Post –Matric Scholarship for Student with Disabilities:

Sr. No	Activities	Date
1	Submission of Online application for Fresh /Renewal scholarship by students	1st June to 31st October,2017

*All Universities / Institutions / Colleges /Schools are directed to register themselves and their course details on the NSP Portal during this period so that they can verify the applications of their students on the Portal without any delay.Also invite attention of the students to the Frequently Asked Questions (FAQs) available on the NSP Portal homepage of the website for filling up of online Application. The linkage of beneficiary's identification with UID/Aadhaar number is presently non-mandatory. However, as the Gazette Notification under Section-7 of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services)Act, 2016(18 of 2016) (with respect to scheme) has been notified and it will be necessary for the eligible applicants to provide Aadhaar number while applying for the scholarship and in case, an individual does not possess Aadhaar one can provide the details of alterative identification documents, **(If, the total calculated scholarship amount of any students is stands below from Rs.50,000/-, then there is no need to Upload any Document on the NSP 2.0 Portal and students should submit the copy of the Documents in the concerned School / College / Institute. The Institution should keep in record all the Documents of the student for Audit purpose.***

(Dr. B.L. Vinta)
Director of Higher Education
Himachal Pradesh.

Endst. No.EDN-H(10)A(7)2/2009-Advertisements- Shimla, Dated: 22nd June, 2017

Copy to:

1. The Director, All India Radio Centre, Shimla.
2. The Director, Doordarshan Centre, Shimla.
3. The Editor, The Tribune Newspaper, Shimla.
4. The Editor, The Indian Express Newspaper, Shimla.
5. The Editor, The Times of India Newspaper, Shimla.
6. The Editor, Hindustan Times Newspaper, Shimla.
7. The Director, Public Information and Public Relation Department, Himachal Pradesh, Shimla – 171002, for publication please.
8. The HP ePASSIncharge, DHE HP, with the request to upload the above Press Release on to the HP ePASS Website.
9. The TO, IT Cell, DHE HP, with the request to upload the above Press Release on the Departmental website.

(Dr. B.L. Vinta)

उच्चतर शिक्षा निदेशालय,

हिमाचल प्रदेश, शिमला – 171001

प्रैस विज्ञप्ति

केन्द्र सरकार द्वारा आवेदन हेतू वर्ष 2017–18 के लिए यह निर्णय लिया गया है कि छात्र–छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP 2.0) को 1 जून 2017 से खोलने का निर्णय लिया गया हैं।इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी छात्र – छात्राऐ पूर्व मैट्रिक, मैरिट–कम–मीन्ज, अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं और दिव्यांग छात्र–छात्राओं के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजनाओं के अंन्तर्गत आनलाईन www.scholarship.gov.in पर आवेदन कर सकते है। यह सूचना दूसरी वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। पोस्ट मैट्रिक, मैरिट कम मीन्ज, अल्पसंख्यक और दिव्यांग छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP 2.0) पर उपलब्ध है।
यह छात्रवृति समय सारणी के अन्तर्गत वर्ष 2017/18 नवीन व नवीनीकरण के छात्र–छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक, मैरिट–कम– मीन्ज, अल्पसंख्यक और दिव्यांग छात्र–छात्राओं के लिए, राज्य/UTs के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

(अ) पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना (नवीन व नवीनीकरण छात्रवृति के लिए) समय सारणी :–

क्र0 सं0	कार्य	नियत तिथि
1	छात्र–छात्राओं द्वारा नवीन छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने की तिथियां	1 जून से 31 अगस्त, 2017
2	छात्र–छात्राओं द्वारा नवीनकरण छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने की तिथियां	1 जून से 31 जुलाई, 2017

(ब) मेरिट–कम– मीन्ज छात्रवृति योजना (नवीन व नवीनीकरण छात्रवृति के लिए) समय सारणी :–

क्र0 सं0	कार्य	नियत तिथि
1	छात्र–छात्राओं द्वारा नवीन छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने की तिथियां	1 जून से 31 अगरत, 2017
2	छात्र–छात्राओं द्वारा नवीनकरण छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने की तिथियां	1 जून से 31 जुलाई, 2017

(स) दिव्यांग छात्र–छात्राओं के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजना :–

क्र0 सं0	कार्य	नियत तिथि
1	छात्र–छात्राओं द्वारा नवीन/नवीनकरण छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने की तिथियां	1 जून से 31 *अक्तूबर*, 2017

सभी विद्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय, को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने संस्थान व विषयों के ब्यौरे को इस अवधि के दौरान एन0एस0पी0–पोर्टल पर पंजीकृत करवाऐ, ताकि वे अपने छात्रों के आवेदनों को बिना किसी विलम्ब के सत्यापित कर सके। सभी छात्र–छात्राओं का ध्यान ***Frequently Asked Questions (FAQs)*** की ओर आकर्षित किया जाता है जो कि एन0एस0पी0–पोर्टल की वैबसाइट के पहले पन्ने पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में लाभार्थियों के यू0आई0डी0 या आधार कार्ड पहचान को लिंक करना जरूरी नहीं समझा गया हैं। हांलाकि राजपत्रित सूचना के सेक्शन–7 के अंतर्गत वितीय व अन्य सुविधा, लाभ व सेवा एक्ट 2016 (18 का 2016) योजना के विषय से सम्बन्धित सूचित किया गया है और जब कोई योग्य लाभार्थी छात्रवृति के लिए आवेदन करता है तो आधार नम्बर देना अति आवश्यक है और यदि किसी व्यक्ति के पास आधार नम्बर नही है तो कोई दूसरा विकल्प के तौर पर पहचान सम्बन्धी पत्र उपलब्ध करवाना आवश्यक हैं।

(डा0 बृज लाल विन्टा)
शिक्षा निदेशक उच्चतर,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

पृष्ठांकन सं0 ई0डी0एन0–एच (10)ए(7)2/2009–प्रैस विज्ञप्ति दिनांक: 22 जून, 2017

प्रतिलिपियां : –

1. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, शिमला।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, शिमला।
3. सम्पादक, दैनिक भास्कर समाचार पत्र, शिमला।
4. सम्पादक, अमर उजाला समाचार पत्र, शिमला।
5. सम्पादक, आपका फैसला समाचार पत्र, शिमला।
6. सम्पादक, पंजाब केसरी समाचार पत्र, शिमला।
7. सम्पादक, दैनिक जागरण समाचार पत्र, शिमला।
8. सम्पादक, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र, शिमला।
9. सम्पादक, हिमाचल दस्तक समाचार पत्र, शिमला।
10. ई–पास प्रभारी, शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हि0प्र0, से अनुरोध है कि, उक्त प्रैस विज्ञप्ति को ई–पास वैबसाईट पर अकिंत करने की कृपा करें।
11. तकनीकी अधीकारी, आई0 टी0 सैल, शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हि0प्र0, से अनुरोध है कि, उक्त प्रैस विज्ञप्ति को विभाग की वैबसाईट पर अकिंत करने की कृपा करें।

(डा0 बृज लाल विन्टा)